कार्यालय प्रधानाचार्य::राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन (उरई) 285001

पत्रांक- 2507 /रा०मे०का०/अधि०/2023 दिनांक- 04/10/2023

विज्ञप्ति सूचना

राजकीय मेडिकल कालेज जालौन (उरई) के विभिन्न विभागों में एन०एम०सी० मनको, छात्र-छात्रो के पठन पाठन तथा मरीजो को बेहतर जाँच उपचार इत्यादि के दृष्टिगत चिकित्सो शिक्षको की कमी को शीर्घतीशीर्घ पूर्ति किये जाने के उद्देश्य से विभिन्न विभागों के उक्त रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरे जाने हेतु साक्षात्कार (वाक् इन इंटरव्यू) दिनांक- 14/10/2023 को समय 11:00 AM बजे से 04:00 PM तक सम्पन्न होगा | अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु एम०सी०आई० के मानको के अनुसार समस्त शैक्षिण (एम०बी०बी०एस०/ एम०डी०/ एम०एस०) /अनुभव प्रमाण, पत्रों/शोध पत्रों की मूल एवं स्वप्रमाणित छायाप्रति के दो सेट बायोडाटा सहित, दो पासपोर्ट साइज़ फोटो, पैन कार्ड एवं आधार कार्ड (आई०डी० प्रूफ) प्रमाण पत्रों के साथ केन्द्रीय पुस्तकालय, राजकीय मेडिकल कालेज जालौन (उरई) समय से उपस्थित होकर प्रतिभाग कर सकते है | विज्ञापन राजकीय मेडिकल कालेज जालौन (उरई) की वेबसाइट-www.gmcjalaun.com पर भी उपलब्ध है रिक्त पदों का विवरण निम्नवत है-

क्रम संख्या	विभाग का नाम	विभागवार रिक्त पद								
		आचार्य			सह- आचार्य			सहायक आचार्य		
		SC/ST	GEN	OBC	SC/ST	GEN	OBC	SC/ST	GEN	OBC
01	अर्थोपेडिक्स	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	एनाटोमी	0	0	1	0	0	0	0	0	0
03	आब्सटेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी	0	0	0	0	0	0	0	1*	2
04	ऐनेस्थेसियोलॉजी	0	1	0	0	0	0	1	1	2
05	ई०एन०टी०	0	1	0	1	0	0	0	0	0
06	कम्यूनिटी मेडिसिन	0	0	0	0	0	0	0	1+1*	2
07	जनरल मेडिसिन	0	0	0	0	1+1*	1	1	1	1
08	जनरल सर्जरी	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	टी०बी० एंड चेस्ट विभाग	0	1	0	0	0	0	1	0	0
10	स्किन एंड वी०डी०	0	0	1	0	0	0	0	0	0
11	पिडियाट्रिक्स विभाग	0	0	0	0	0	0	0	1	1
12	पैथोलॉजी विभाग	0	0	1	0	0	0	0	0	0
13	फार्माकोलॉजी	0	1*	0	0	0	0	0	1	0
14	फिजियोलॉजी	0	1	0	0	0	0	0	0	0
15	फॉरेंसिक मेडिसिन	0	0	1	0	0	0	0	0	0
16	बायोकेमिस्ट्री	0	1	0	0	0	0	0	0	1
17	माइक्रोबायोलॉजी	1	0	0	0	1	0	0	0	1
18	रेडियोडायग्नोसिस	0	1	0	0	0	1	0	0	0
19	मनोरोग विभाग	0	1	0	1	0	0	0	0	0
20	रेडियोथेरेपी	0	0	1	0	1	0	0	0	0
21	पी०एम०आर०	1	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल		3	7+1*	5	2	3+1*	2	3	5+2*	10

*EWS CATEGORY

2 SEAT IN OBS/GYNE ARE MCWO & ANMO

1 SEAT IN COMMUNITY MEDICINE IS FOR EPIDERMIOLOGIST AND 1 SEAT FOR BIOSTATISTICIAN

अभ्युक्ति- एस०सी०/ एस०टी० कॉलम में दर्शाये गये स्टार चिन्हित रिक्त पद अनुसूचित जनजाति तथा अनारक्षित कॉलम में दर्शाये गये स्टार चिन्हित रिक्त पद रिक्त पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हैं |

शर्ते- 01- चयनित अभ्यर्थियो को सामान्य राजकीय सेवा नियमावली तथा शासन की नीतियों एवं निर्धारित नियमो का अनुपालन करना आवश्यक होगा |

02- इस साक्षात्कार हेतु कोई यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा | शासन द्वारा नियुक्ति किये जाने पर संविदा पद हेतु नियत मानदेय / वेतन ही देय होगा |

03- चयन के सम्बन्ध में चयन समिति / शासन का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान होगा तथा चयन समिति को आवश्यकतानुसार किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के विज्ञापन को निरस्त करने का अधिकार होगा |

04 - चयन / नियुक्ति कि प्रक्रिया नियमानुसार आरक्षण सम्बन्धी 100 बिन्दु रोस्टर के अनुसार ही पूर्ण की जाएगी किन्तु आरक्षण रोस्टर के सम्बन्धिंत भविष्य में शासन से यदि कोई अन्य निर्देश प्राप्त होते है तो चयन की प्रक्रिया उक्त निर्देशों के अनुसार ही सम्पादित / निर्धारित के जायेगी |

05- संविदा चिकित्सा शिक्षको की नियुक्ति से सम्बंधित निर्गत शासनादेश दिनांक- 10-06-2020 के अनुसार निर्धारित अधिकतम उम्र (60, 64, 68 वर्ष) का पालन अनिवार्य होगा | एम०डी० / एम०एस० अभ्यर्थी का एम०सी०आई० / एन०एम०सी० में स्थाई पंकीकरण होना अनिवार्य हैं |

06- अभ्यर्थी कि नियुक्ति संविदा के आधार पर एक वर्ष अथवा विज्ञापित पद पर नियमित नियुक्ति होने तक अथवा वांछित श्रेणी का अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर, जो भी पहले घटित हो, तक के लिए ही होगी | इसके उपरान्त अभ्यर्थी चयनित पद पर स्थायीकरण अथवा नियमितीकरण अथवा शासनादेश के विरुद्ध सेवाविस्तार का दावा नही कर सकेगा |

07- पदों की संख्या आवश्यकतानुसार घट-बढ सकती है, जिसके लिए शासन एवं संस्था को पूर्ण अधिकार होगा | कतिपय विभागों के रिक्त पदों हेतु पूर्व में प्रेषित किये गये चयन प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है यदि उक्त पदों पर नियुक्ति आदेश शासन द्वारा निर्गत किया जाता है तो उन पदों पर पुन: चयन / भर्ती नही होगी एवं वह पद स्वत: शून्य माने जाएंगे |

08- वाक् इन इंटरव्यू के समय पद की अर्हता हेतु वांछित समस्त प्रपत्र / प्रमाण पत्र साक्षात्कार समिति के सम्मुख प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा | अभ्यर्थी द्वारा केवल ईमेल तथा डाक से प्रेषित आवेदन पर विचार नही किया जायेगा, अभ्यर्थी का साक्षात्कार में समिति के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य होगा | साक्षात्कार में अधुरे प्रपत्र / प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उसके आवेदन पर विचार नही किया जायेगा |

09- आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु में छूट प्रदान कि जायेगी |

10- संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षको कि सेवायें नियमित चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध होने / महानिदेशालय से सेवा बांड के आधार पर चयनित चिकित्सा शिक्षको के उपलब्ध होने पर Last Come First Go के आधार पर तत्काल समाप्त हो जायेगी एवं सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर एक माह कि नोटिस देकर भी सेवा समाप्त की जा सकती है | संविदा छोड़ने की स्थिति में 01 माह पूर्व नोटिस या नोटिस न देने की स्थिति में 01 माह वेतन / मानदेय जमा कराना होगा |

11- आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) प्रमाण पत्र वितीय वर्ष 2023-24 के लिये मान्य ही स्वीकार होगा |

12- अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) प्रमाण पत्र दिनांक 01-08-2023 के पश्चत का ही मान्य होगा |

प्रधानाचार्य

(आर० के० मौर्य)

प्रधानाचार्य
राजकीय मेडिकल कालेज
जालौन (उरई)